(28)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज

पत्र संख्या–सी0एफ0ओ0/एफएस/विद्या0/2021 दिनांकः 8 अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रो0/प्रबन्धक
केन्द्रीय विद्यालय न्यू कैन्ट,
इलाहाबाद (प्रयागराज)।

विषयः– केन्द्रीय विद्यालय न्यू कैन्ट, इलाहाबाद (प्रयागराज) भवन में लगे अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का फायर आडिट अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :–आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में। दिनाक 05.04.2021

महोदय,

प्रबन्धक केन्द्रीय विद्यालय न्यू कैन्ट, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भवन में स्थापित जीवन रक्षा, प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेशन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का निरीक्षण कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. विद्यालय भूतल तल एवं प्रथम तल पर संचालित है।
2. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**–भारतीय मानक बयूरों के आई0एस0–2190 के अनुसार ए0बी0सी0–6किग्रा0, 06 अदद सी0ओटू–3 अदद, 9 किग्रा, 3 अदद कार्यशील दशा में पाये गये।
3. **टेरिस टैंक**–भवन की टेरिस पर 10,000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित है।
4. **टैरिस पम्प**–टेरिस टैंक के पास 450एल0पी0एम0 क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित किया जाय।
5. **होजरील/डाउनकमर**– होजरील/डाउनकमर प्रत्येक तल पर स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।
6. **मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फॉयर एलार्म सिस्टम**–सम्पूर्ण भवन मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फॉयर एलार्म सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।
7. फायर स्टेशन–सिविल लाइन का मो0 नं0 9454418557 व 9454418558 मुख्य–मुख्य स्थानों पर अंकित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में लगे अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनापत्ति फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है –

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाये जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किये जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवेन्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस प्रतिबन्धों के साथ प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

8/4/2021

(आर0एस0 मिश्र)
(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।
प्रयागराज